

गृह निर्माण अग्रिम के लिये प्रार्थना-पत्र
(वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग-1 का पैरा 244 देखिये)

- 1—नाम-----
- 2—पदनाम और कार्यालय का पता-----
- 3—घर का वा स्थायी पता-----
- 4—स्थायी पद अथवा मौलिक नियुक्ति-----
- 5—वेतन और भत्ते—
 - (1) मूल वेतन
 - (2) स्थानापन्न वेतन
 - (3) विशेष वेतन
 - (4) ब्योरे सहित भत्ते
- 6—अपेक्षित-अग्रिम-धनराशि—
 - (क) भूमि खरीदने के लिये
 - (ख) मकान बनवाने के लिये
 - (ग) मकान और संलग्न भूमि खरीदने के लिये
 - (घ) खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिये
 - (ङ) मकान फिर से बनवाने के लिये
 - (च) पिछली अग्रिम धनराशि से बनवाये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत के लिये
- 7—खरीदे जाने वाले प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान
- 8—यह साबित करने के लिये आपके पास क्या प्रमाण है कि उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्वाध स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे अगर उसे सरकार के पास बन्धक रखने में कोई बाधा न पड़ेगी।
- 9—अग्रिम धनराशि कितनी किस्तों में चाहिए और प्रत्येक किस्त के कब तक पूर्ण रूप से उपयोग कर लिये जाने की सम्भावना है।
- 10—मकान के निर्माण/क्रय/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा
- 11—क्या आप किसी अन्य मकान के स्वामी या हिस्सेदार हैं, यदि हों, तो उसका विवरण दीजिये। उक्त मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताइए।
- 12—यदि कोई मकान बनवाने/खरीदने/या उसकी मरम्मत इत्यादि कराने के लिये आपने इन नियमों के अधीन कोई अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिये।
- 13—अल्प या मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋणों का विवरण और उसकी धनराशि का उल्लेख कीजिये।
- 14—किसी भवन को खरीदने, बनाने, उसकी मरम्मत कराने या उसे फिर से बनाने के लिये भविष्य निधि से लिये गये स्थायी प्रत्याहरण (फाइनल विदडाल) का पूरा-पूरा विवरण दीजिये।
- 15—जन्म का दिनांक
- 16—(क) सामान्यतः आप कब तक सेवानिवृत्त होंगे
(ख) क्या आप का विचार इससे पहले सेवानिवृत्त होने का है
- 17—बसूली कब से और किस दर से होनी चाहिए
- 18—1 जनवरी, 1969 को आपके कितने बच्चे थे और उस दिनांक के बाद अब कितने बच्चे हैं

घोषणा

1—मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषित करता हूँ कि ऊपर बताई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है वह जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही है।

2—मैंने मकान बनवाने आदि के लिये राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और मैं उसमें दी गई शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।

3—मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/मेरे पति राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं,—

(1) मेरी पत्नी/मेरे पति ने जो कि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिया है और/या अग्रिम नहीं लिया है।

(2) न तो मैंने और न मेरी पत्नी/पति/अल्पवयस्क बच्चे ने किसी सरकारी स्रोत से (जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार की गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत) कोई मकान प्राप्त करने के लिये किसी ऋण या अग्रिम के लिये प्रार्थना-पत्र ही दिया है, न कोई अग्रिम और ऋण ही प्राप्त किया है और न मकान प्राप्त करने के लिये भविष्य निधि से कोई अग्रिम ही लिया है या भविष्य निधि से स्थायी प्रत्याहरण (फाइनल विदुड्राल) ही किया है।

(3) जिस मकान के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है उसे बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर-----

दिनांक :

पदनाम-----

विभाग-----

*जो लागू न होते हों उन्हें काट दीजिये।

निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश

अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम।